(iii) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत राशि — 15,000/- रु०

इसके अतिरिक्त, मृतक के एक आश्रित को रोजगार देने की भी पेशकश की जाती है। रोजगार के बदले में वैकल्पिक रूप में विधवा/महिला आश्रित को 60 वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने तक/मृत्यु होने तक/पुर्नविवाह किए जाने तक इनमें से जो पहले हो, तक की अवधि के लिए 3000/- रु० की राशि की मासिक पेंशन अदा की जाती है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार

2155. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बुंदेलखंड क्षेत्र में समुचित उद्योग न होने के कारण अधिक बेरोजगारी है;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगार व्यक्तियों की जिले-वार संख्या क्या है; और

(ग) उपर्युक्त जिलों में बेरोजगारी को कम करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 30.4.96 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या, यह आवश्यक नहीं कि उनमें सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की योजनावधि में औसतन 8.5 मिलियन प्रतिवर्ष की दर से तथा 1997—2002 की अवधि के दौरान औसतन 9.5 मिलियन प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। रोजगार वृद्धि की इस दर को प्राप्त करने के लिए योजना में एक ऐसी रोजगार नीति की परिकल्पना की गई है जिसमें उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों, सब-सैक्टरों जैसे कृषि, कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण आधार संरचना, लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र पर बल दिया गया है। पहले से चल रही आईआरडीपी, जेआरवाई, तथा एनआरवाई योजनाओं के अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में नई रोजगार योजनाएं, यथा रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) तथा खादी एवं ग्रामोद्योग की दो मिलियन रोजगारों की योजना, आरम्भ की गई हैं। प्रधान मंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आईयूपीएसी) में रोजगार सृजन के साथ जनता के अपेक्षाकृत गरीब तबकों को मूल सेवाएं उपलब्ध कराना भी रोजगार सृजन का एक तत्व है। इन योजनाओं से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बेरोजगारों के लाभान्वित होने की संभावना है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 30.4.96 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्रमांक	पूर्वी क्षेत्र	चालू रजिस्टर पर संख्या
1.	देवरिया	33,528
2.	पाड्रोना	25,475
3.	गोरखपुर	61,431
	यू०ई०बी० गोरखपुर	1,968
4.	महाराजगंज	17,361
5.	बस्ती	28,957
6.	सिद्धार्थनगर	11,150
7.	आज़मगढ़	63,010
8.	मौनाथभंजन	22,061
9.	गोण्डा	25,986
10.	बहराइच	15,233
11.	फैजाबाद	45,392
	यू०ई०बी० फैजाबाद	1,706
12.	सुल्तानपुर	26,646
13.	जगदीशपुर (नगर)	5,818
14.	प्रतापगढ़	29,109
15.	बलिया	34,914
16.	गाजीपुर	41,265
17.	वाराणसी	76,280
	यू०ई०बी० वाराणसी	1,944
18.	बघोई	6,605
19.	जौनपुर	33,573
20.	मिर्जापुर	18,851

21.	सोनभद्र	29,490
22.	इलाहाबाद, यू०ई०बी०	1,455
	इलाहाबाद	1,45,116
	काशीविद्यापीठ	580
	योग:	8,04,904

बुन्देलखण्ड क्षेत्र

1.	झांसी	44,767
2.	जालोन	31,169
3.	हमीरपुर	19,892
4.	माहोबा	7,337
5.	बान्दा	26,748
6.	ललितपुर	10,238
	योग:	1,40,151

Production of Radiation Shielding Window Glass by BOGL

2156. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bharat Ophthalmic Glass Ltd. (BOGL) had developed and installed the facilities for production of Radiation Shielding Window (RSW) Glass for Bhaba Atomic Research Centre (BARC);

(b) whether it is a fact that BOGL is now not getting adequate order from BARC for supplying Radiation Shielding Window (RSW) Glass;

(c) whether in the absence of sufficient order of RSW Glass from BARC, these facilities are being under utilised; and

(d) if so, action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Alongwith its main product Flint Buttons, BOGL produces Optical Glass items which include certain types of glass used in Radiation Shielding Windows (RSW) for the BARC.

(b) to (d) During the last 3 financial years, the company received on an average orders for 4 MT per annum. BARC has projected their requirements at 115 MT over next 4-5 years. BOGL is pursuing the matter with BARC for more orders.

Sale of Pusa-44 Rice

2157. SHRI SOM PAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the Food Corporation of India came to know in the year 1990-91 regarding sale of Pusa-44 a variety of rice by mixing the same with the other varieties of rice;

(b) whether it is also a fact that Pusa-44 is considered to be a fine category of rice whereas it was purchased by the officers of the Food Corporation of India at some places in Punjab considering it as super fine rice;

(c) whether the whole matter was entrusted to the Central Bureau of Investigation for inquiry; and

(d) if so, the findings of the inquiry and action taken so far by the Government thereon?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) No, Sir. It was only during 1991-92 (i.e. in the month of November, 1991) that FCI came to know for the first time about the marketing of Pusa-44 variety of rice by mixing it with superfine rice in Jallandhar District of Punjab.

(b) Yes, Sir. On the basis of the classification norms prescribed by the Govt. of India on the recommendations of Balasubramanian Committee, the Pusa-44 variety of paddy/rice grown in Punjab stands classified as 'Fine'.

During 1991-92 and 1992-93, Pusa-44 was procured as superfine by FCI because this variety was reportedly offered mixed with other genuine superfine varieties. However, during 1993-94, FCI started procuring Pusa-44 variety as 'Fine'